न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 44/2011 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :— 2011/00053

उनवान

रमेशचन्द्र पुत्र श्री कन्हैया जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
.........................अपीलांट।

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र चेती
2. गंभीर सिंह
3. खूबी
4. जयप्रकाश

(2–4) पिसरान रामस्वरूप; (1–4) जाति ब्राहम्ण निवासीयान खिजूरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

5. भगवती वेवा सम्पतराम जाति ब्राहम्ण निवासी खिजूरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.................रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 28.04.11 प्र.संख्या 105/07 उनवानी रमेशचन्द्र बनाम रामस्वरूप वगै0।

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलाण्ट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दिनेश शर्मा उपस्थित

निर्णय दिनांक—22.05.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम खानुआ तहसील रूपवास में स्थित है जो कि वादी/अपीलाण्ट व प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 के सहस्वामित्व व सहआधिपत्य की आराजी है। मद संख्या 01 में वर्णित आराजी वादी/अपीलाण्ट के खास चाचा सम्पत पुत्र चेती जाति ब्राहम्ण निवासी खिजूरी तहसील रूपवास की छोडी हुई जायदाद है। मृतक सम्पतराम के कोई सन्तान नहीं थी तथा उसकी पत्नि से उसके अच्छे

संबंध नहीं थे वह हमेशा से वादी/अपीलाण्ट के पास ही रहते थे। वादी/अपीलांट की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर मृतक सम्पतराम ने अपनी मृत्यु से पूर्व विवादित आराजी बाबत् एक वसीयतनामा वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में कर दिया। परन्तु प्रतिवादी/रैस्पो0 ने आपस में वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में एक गिरोह बना रखा है एवं वह मृतक सम्पतराम की विवादित आराजी को जबरन लट्ठ के बल पर हडपना चाहते हैं। यदि प्रतिवादी/रैस्पो0 अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी/अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर वसीयतनामा के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय खिलाफ अपीलाण्ट देने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को तनकी का निर्णय करते समय इस ओर ध्यान आकर्षित करना था कि मृतक सम्पत द्वारा अपीलाण्ट के हक में निष्पादित वसीयतनामा प्रदर्श–3 अपीलाण्ट द्वारा प्रमाणित कराया है या नहीं। जबकि अपीलाण्ट ने प्रदर्श–3 वसीयतनामा को स्वयं के बयान व गवाहो से प्रमाणित कराया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयतनामा को अपंजीकृत होना मानकर साक्ष्य को मिसइन्टरप्रियेट कर तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट खिलाफ कानून तय करने में त्रुटि की है। अपीालण्ट का विवादित आराजी पर मृतक सम्पत के जमाने से व उसके मरने के बाद कब्जा काश्त रहा है। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर ना तो कभी कब्जा काश्त रहा है एवं ना ही उनका विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार ही रहा है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर एआईआर 1971 पेज 1865, आरआरटी 2010 पेज 206, 2012 पेज 1009, 2011 पेज 581, आरआरडी 2006 पेज 190 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वसीयतनामा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है। क्योंकि सम्पत दिनांक 02.03.2007 को असहाय बीमार था और सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। विवादित आराजी में अपीलाण्ट का कभी कोई संबंध सारोकार नहीं रहा है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय मे स्वयं सम्पतराम की विधवा ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा को फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, तनकीवार, तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसमे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित सात तनकियॉ कायम की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u> **"आया दिनांक 02.03.2007 को सम्पतराम पुत्र चेती जाति ब्राहम्ण निवासी खिजूरी ने वादी के पक्ष में विवादित भूमि का वसीयतनामा तहरीर व तकमील करवाया जिसके आधार पर वादी सम्पतराम के हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार बन गया है"** अपीलांट के दावे की सफलता के लिए आवश्यक है कि वह अपना दावा सिद्ध करे। कथित वसीयत जिस पर अपीलांट का दावा आधारित है, अपंजीकृत वसीयत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के क्रम में अनेक विरोधाभास रेखांकित किये हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में मृतक सम्पतराम की पत्नि भगवती, रैस्पो0 संख्या 05 ने अपनी जिरह में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कथित वसीयत को कूटरचित व फर्जी होना बताया है। चूंकि वसीयत ही दावे का आधार है। अतः वाद की सफलता के लिए, वसीयत का सक्षम न्यायालय से अधिप्रमाणक (Probate) होना परमावश्यक है। चूंकि वसीयत सक्षम न्यायालय से अधिप्रमाणित नहीं है अतः वसीयत की प्रमाणिकता संदिग्ध रहती है। ऐसी सूरत में अपंजीकृत वसीयत के आधार पर अधिकारों का सृजन हम उचित नहीं पाते हैं। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

7. <u>तनकी संख्या 02 लगायत 06</u>, तनकी संख्या 01 पर आधारित हैं। चूंकि तनकी 1 अपीलाण्ट/वादी के विरूद्ध निर्णित हुई है। अतः तनकी 02 लगायत 06 भी अधीनस्थ न्यायालय ने उचित तौर पर अपीलाण्ट/वादी के खिलाफ निर्णित की है।

8. <u>दादरसी</u> :– समस्त तनकियात का निर्णय किया जा चुका है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में दावा एवं जवाब दावा के आधार पर, सारपूर्ण तनकियां बनाई हैं व प्रत्येक तनकी का समुचित विवेचन कर निष्कर्ष अंकित किये हैं, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश हम नहीं पाते हैं। लिहाजा हम अपील अपीलांट खारिज योग्य समझते हैं।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2011 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 22.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official